केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/201 दिनांक: 05.09.2019

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00161
CICOM/R/2019/00576 एवं CICOM/R/2019/00522

अपीलकर्ता : श्री बनारसी राय,
21 हीरा भवन, शिव नगर,
आधार तल, जबलपुर,
मध्य प्रदेश ।

निर्णय की तारीख: 05.09.2019

| | |
|---|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | 26.06.2019, 20.07.2019 |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि | 15.07.2019, 29.07.2019 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | गैरदिनांकित |
| प्रथम अपील की डायरी सं. | 16041/16.08.2019 |

1. अपीलकर्ता के दिनांक 26.06.2019 एवं 20.07.2019 के दो आर.टी.आई. आवेदनों के प्रतिउत्तर में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 26.06.2019 एवं 20.07.2019 के दोनों आर.टी.आई. आवेदनों के संदर्भ में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 15.07.2019 एवं 29.07.2019 को को प्रेषित की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । साथ ही अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि एक प्रथम अपील आवेदन या द्वितीय अपील आवेदन में केवल एक ही आर.टी.आई. का उल्लेख किया जाना अपेक्षित होता है ।

3. तद्नुसार प्रथम अपील खारिज की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

पीयूष अग्रवाल
(पीयूष अग्रवाल)
पंजीयक एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26105021

केन्द्रीय सूचना आयोग Central Information Commission CIC

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

06/09/19

RECEIVED
C.I.C.
06 SEP 2019
D.NO.
Initials